







फर्द अहकाम
(नियम 15)

मिर्काय
17.9.2025

मय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
राजूराम आदि बनाम केसरदेवी आदि
अन्तर्गत धारा 88.53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 483 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
27.08.2025	वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 08.09.2025 को पेश हो। " "	
4.9.2025 भगवति रोशनी महेश्वरी स्तौरता ममता	वकील प्रदीपनी ने आवना - फा मिहल पेची पेश करने पर प्रजावनी को पेची में लिखा गया व कुलए फर्देन उपस्थित। प्रदीपनी को 10.15 ने जजिसे सबब कुम्हार उपस्थित आकर इककाल काका पेश किया जिसे 11.30 तक फर्दल किया गया प्रजावनी वास्ते स्टेर जजक उरक-का लकीर 17.9.2025 को पेश हो। " "	   
10.9.2025	कुलए फर्देन उपस्थित/PU माहक प्रकरने फेरेन है। प्रजावली सुवलिखल - 17.9.2025 को पेश हो।	 
17.9.2025	कुलए फर्देन उपस्थित स्टेर जजक प्रकर उरका वहक सुनी गरी प्रजावनी का प्रलोका किया गया प्रजावनी पर उपलब्ध डिग्री काही व प्रदीपनी की सहकति के आचार पर वादकी डिग्री किया जाण है। प्रदीपनी खिसल सदित लिखप अलग के लिखाया जाकर 11.30 तक फर्दल किया जावे। प्रजावनी वास्ते के काक की जाकर जाड लकीर लकीरिन जावला दाखिल चक्रतर हो। " "	